

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक/राजस्व/सा.पत्र/ 05 / 2025 / 17.2.25/ 1115

दिनांक : 11/02/2025

प्रेषित :-

क्षिप्रान्ति निबंध महोदय
राजस्व मण्डल, राजस्थान
अजमेर

विषय: प्रकरण संख्या 05/2025 अनवान अजमेर
बनाम ओम प्रकाश पौरा अन्तर्गत धारा 212 RTI
निर्णय दिनांक 29.01.2025 भिजवाने हेतु।

प्रसंग :- आपका पत्रांक टीए/निग/2025/1147/जंजा/00/04/2025/1622
दिनांक 11/02/2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा चाही गई पत्रावली संख्या 05/2025 (JCMIS NO-2025/24)
अनवान अजमेर बनाम ओम प्रकाश पौरा
अन्तर्गत धारा 212 RTA निर्णय दिनांक 29.01.2025
कुल पृष्ठ 16 इस पत्र के संलग्न आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपर्युक्तानुसार



उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सूरतगढ़



राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(Handwritten Signature)

क्रमांक: टीए/निग/2025/1147/गंगानगर/08/04/2025

दिनांक: 11/02/2025

प्रेषित:

✓

उपखंड अधिकारी, सूरतगढ़, जिला - गंगानगर

1622
11 FEB 2025



जगदीश

बनाम

ओमप्रकाश

निम्नलिखित/अपील विरुद्ध निर्णय- उपखंड अधिकारी, सूरतगढ़, जिला - गंगानगर

निर्णय दिनांक-29/01/2025 वाद संख्या-2025/5

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विचाराधीन वाद मे आपके न्यायालय की निम्नलिखित पत्रावलियां मण्डल में नियत दिनांक 08/04/2025 से पूर्व भिजवाने कि व्यवस्था करें:-

क्र.सं.	पत्रावली संख्या	अधीनस्थ न्यायालय	उनवान	निर्णय दिनांक
✓ 1	2025/5	उपखंड अधिकारी, सूरतगढ़, जिला -गंगानगर	जगदीश / ओमप्रकाश	29/01/2025

(Handwritten Signature)
निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

17/02/25

उपरोक्त पक्ष अर्थात् अप्राणिकों द्वारा इस न्यायालय
के निर्णय दिनांक 29/01/2025 के विरुद्ध माननीय
राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 1143/25
प्रसूत कृते पर यह प्रयावली चाली है अतः उक्त
प्रयावली मा. राजस्व मण्डल को भेजी जावे। नंबर
से प्रसूत है।

आदेश सुनाया गया।

उपस्थित अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)